प्रेस विज्ञप्ति

16.07.2025

रोज़ वैली चिटफंड घोटाले के 11883 पीड़ितों को धनराशि संवितरण का 8वां चरण

न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों वाली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) ने रोज़ वैली पोंजी स्कीम के 11883 पीड़ितों/जमाकर्ताओं को 10.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान संवितरण के साथ, अब तक 72760 पीड़ितों को कुल 55,45,40,428 रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है। विभिन्न चरणों में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

चरण	**कुल संवीक्षित**	**कुल स्वीकृत**	**कुल भुगतान राशि (रु.)**
पहला चरण	31352	7317	5,10,62,591/-
दूसरा चरण	31214	6470	4,41,10,547/-
तीसरा चरण	34268	8917	6,36,72,269/-
चौथा चरण	23214	5874	3,78,62,173/-
पाँचवां चरण	11753	3741	2,29,63,264/-
छठा चरण	52417	21678	17,26,08,287/-
सातवां चरण	18417	6880	6,17,23,123/-
आठवां चरण	29752	11,883	10,05,38,174/-
कुल	232387	**72760**	**55,45,40,428/-**

संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति में, ईडी, कोलकाता ने रोज वैली समूह की संपत्तियों की कुर्की, कब्जे और संवितरण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम आदि राज्यों के हजारों पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी सुचारू और त्वरित हुई है। पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने और रोज वैली समूह की कंपनियों के निवेशकों/पीड़ितों को संवितरण के लिए संपत्तियों के शीघ्र मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने में प्रवर्तन निदेशालय संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है।

संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) द्वारा अधिक दावों की जांच और सत्यापन किए गए है, अतः आगामी महीनों में वापसी प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है। अब तक, एडीसी ने 72760 दावों का निपटान किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 55.45 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित की गई है।

आगे, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि व्यापक और श्रमसाध्य जाँच के ज़रिए, ईडी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में फैली 494 करोड़ रुपये की चल और 1,069 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को सफलतापूर्वक कुर्क किया है, जिनमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 1,184 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं, जो रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को न्याय दिलाने के एजेंसी के अथक प्रयासों को दर्शाता है। इन सभी क्षेत्रों में अब वापसी प्रक्रिया पूरे ज़ोर-शोर से चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय अपराध से अर्जित आय पीड़ितों को वापस दिलाने में संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।